

बिहार लोक सेवा आयोग,
15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना

आवश्यक सूचना

वि.सं. 02/2018, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन वाष्पित्र निरीक्षक के 02 (दो) पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा अर्हित उम्मीदवारों में से कोटिवार रिक्ति के पाँच गुणा उम्मीदवारों के साक्षात्कार दिनांक 09.11.2019 (दिन— शनिवार) को आयोजित किया जायेगा, जिसका विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार Cut-off marks निम्नवत् है:-

Sl. No.	Category	Cut-off marks
1.	Unreserved (01)	73.07
2.	BC (05)	69.79

3. दिनांक 25.03.2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना में अनर्हित उम्मीदवारों से दिनांक 08.04.2019 तक आपत्ति अभ्यावेदन की मांग की गई थी। प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को विभागीय विशेषज्ञ द्वारा निस्तारण करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदन के आलोक में आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया उनकी सूची निम्नवत् है:-

201802000004	201802000007	201802000047	201802000079
201802000080	201802000125	201802000201	201802000223
201802000229	201802000239	201802000240	201802000255
201802000262	201802000269	201802000321	201802000337
201802000380	201802000421	201802000440	201802000444
201802000456	201802000468	XX	XX

4. आपत्ति अभ्यावेदनों में से एक उम्मीदवार अनुक्रमांक 201802000161 को औपबंधिक रूप से अर्हित करते हुए साक्षात्कार में शामिल किया जा रहा है।

5. श्रम संसाधन विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन वाष्पित्र निरीक्षक के 02(दो) पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 02/2018 के वैसे उम्मीदवार जो पूर्व में अर्हित हैं लेकिन साक्षात्कार के लिए निर्धारित आरक्षण कोटिवार कट-ऑफ मार्क्स से कम अंक रहने के कारण साक्षात्कार में आमंत्रित नहीं किए गए हैं, वे विज्ञापन के कडिका 5 (साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की सूची तैयार करने सम्बन्धी निदेश) के आलोक में तालिका एवं संगत अंक पत्र के साथ आपत्ति अभ्यावेदन (प्रमाण पत्रों की छायाप्रति सहित) सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आयोग के E-mail ID- bpsepat-bih@nic.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति अभ्यावेदन के विचारोपरान्त अर्हित योग्य पाये जाने पर उन्हें औपबंधिक रूप से अर्हित किया जायेगा।

6. सभी उम्मीदवार वांछित प्रमाण पत्र साक्षात्कार की तिथि को ही समर्पित करेंगे। साक्षात्कार के उपरान्त कोई भी प्रमाण पत्र/कागजात जमा करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

7. सभी अर्हित उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।

8. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

संयुक्त सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना